बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800 010

दूरभाष नं0-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

पत्रांक-पी.सी./पी.आर.-119/प्रेस विज्ञप्ति/2018/**299**   पटना, दिनांक:-16.03.2019

संध्या- 06:00 बजे

प्रेस-विज्ञप्ति

राज्य में स्थित मोटर गैराजों एवं मोटर सर्विस स्टेशनों की गतिविधियों से जल एवं वायु प्रदूषण की संभावना रहती है। ऐसी इकाईयों को जल एवं वायु अधिनियमों के तहत् पर्षद् से सहमति प्राप्त कर संचालन करना एक वैद्यानिक अनिवार्यता है। ऐसी इकाईयों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है।

इन क्षेत्र की इकाईयों के मालिकों/संचालकों को उनकी इकाई से उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा आज एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में शामिल प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए **राज्य पर्षद् के अध्यक्ष डा. अशोक कुमार घोष ने** बताया कि मोटर वाहनो की संख्या में उत्तरोतर वृद्वि के साथ-साथ मोटर गैरेजों व सर्विस स्टेशनों की संख्या में बेतहाशा वृद्वि हुई है। गैरेजों/सर्विस स्टेशनों से गाड़ियो की धुलाई में निकले तेल/ग्रीस व प्रदूषक पदार्थ नालियों के माध्यम से जल स्रोतों एवं भूगर्भीय जल को प्रदूषित करते हैं। इन पर नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय कानून का अनुपालन वैधानिक अनिवार्यता है।

डा. घोष ने उपस्थित प्रतिभागियों से अपील किया कि कानून के अनुपालन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण के सामाजिक दायित्वों का भी अनुपालन करें ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रदूषणमुक्त पर्यावरण मिल पाये।

राज्य पर्षद् के पर्षद् विश्लेषक श्री एस.एन. जायसवाल ने पावंर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सर्विस स्टेशनों एवं मोटर गैराजों के प्रदूषण नियंत्रण के वैधानिक दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैसे मोटर गैराज व सर्विस स्टेशन जहॉ गाड़ियों की धुलाई होती है, 'ऑरेंज श्रेणी' में आते हैं जिन्हें अपनी इकाई की स्थापना एवं गतिविधि संचालन हेतु राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त करना होता है। ऐसे सर्विस स्टेशनों/गैरेजों से उत्सर्जित बहिःस्राव को मानक के अधीन कर जल स्रोतों में प्रवाहित करना होगा। इसके लिए इन्हे ई.टी.पी., (Effluent

Treatment Plant) स्थापित कर बहिःस्राव को मानक के अधीन लाना होगा। सर्विस स्टेशनों/गैराजों से धुलाई के पश्चात निकले तेल व ग्रीस खतरनाक श्रेणी के होते हैं। इनके नियमन के लिए मार्च 2016 में (The Hazardous and other waste (Management and transboundry Management)Rules अधिसूचित है जिनका पालन भी वैधानिक अनिवार्यता है। इनके साथ ही जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के नियमों का अनुपालन करते हुए ही इकाई का संचालन करना है।

''व्यवहृत तेल'' पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट है। इसे सिर्फ प्राधिकृत पुनःचक्रणकर्त्ताओं को ही बेचना है। इसी प्रकार व्यवहृत लेड–एसिड बैटरी के निष्पादन हेतु भी The Battery Management & Handling Rules, 2001 के अनुपालन में व्यवहृत बैटरियों को सिर्फ प्राधिकृत एजेंसी को ही बेचना है।

मंच का संचालन करते हुए पर्षद् के वैज्ञानिक डा. नवीन कुमार ने कहा कि वैसे सर्विस स्टेशन/गैरेज जहां गाड़ियों की धुलाई नहीं होती है वे 'White' श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें राज्य पर्षद् से स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति नहीं प्राप्त करना होता है, परन्तु उन्हें पर्यावरणीय कानूनों का पालन करना होता है। डा. नवीन कुमार ने सूचित किया कि राज्य पर्षद् से स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन दिया जा सकता है। इसमें जिन्हें कोई असुविधा हो रही हो, उनके लिए पर्षद् मुख्यालय में **'सुविधा केन्द्र'** कार्यरत है जहां से वे रू 1000/– शुल्क देकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

पटना मोटर गैराज ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विमल कुमार ने बताया कि पटना में करीब 90 प्रतिशत गैराज बिना धुलाई के एवं अन्य धुलाई की सुविधा के साथ संचालित हैं। उन्होने बताया कि पटना के गैराज प्रदूषण नियंत्रण के सारे कानूनों का पालन करेंगे।

कार्यशाला के समापन पर राज्य पर्षद् के सदस्य–सचिव श्री आलोक कुमार,भा.व.से. ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कहा कि सर्विस स्टेशनों/गैराजों से धुलाई से निकले तेल व ग्रीज बिना उपचारित किये नालियों के माध्यम से नदियों में प्रवाहित किये जा रहे हैं। इस जागरूकता कार्यशाला के द्वारा ऐसी सभी इकाईयों को सचेत करना है कि वे पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन स्वतः ही कर लें अन्यथा राज्य पर्षद् ऐसी इकइयों के खिलाफ यथोचित कार्रवाई को बाध्य होगा।

वीरेन्द्र कुमार 16.03.2019

(वीरेन्द्र कुमार)

जन–सम्पर्क पदाधिकारी।